NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

Rs. 100

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CZ 033608

किराया-नामा अनुबंध पत्र

मकान मालिक/प्रथम पक्षकार	**श्री शैलेन्द्र राय**, पुत्र स्व. श्री शशिबाला राय, आयु वयस्क, निवासी- मकान नं. एच-88ए/27, सेकेण्ड बस स्टॉप, तुलसी नगर, तहसील-हुजूर, भोपाल (म.प्र) आधार नं.- 4078 2716 1359
किरायेदार/द्वितीय पक्षकार	**श्री राहुल धाकड**, आत्मज श्री नारायण सिंह धाकड, आयु वयस्क, निवासी- ग्राम उदयपुरा, काली मंदिर के पास, रायसेन (म.प्र.) 464770 आधार नं.- 2100 4038 5839
किरायाधीन सम्पत्ति का विवरण	एक किता संपत्ति जो कि मकान नं. 93, नेताजी सोसायटी महाबली नगर, कोलार रोड, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है । जिसे प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को मासिक किराये पर दिया जा रहा है ।
किराया प्रतिमाह	रूपये 9,000/- (रूपये नौ हजार मात्र)
सिक्यूरिटी डिपाजिट:	रूपये 12,000/- (रूपये बारह हजार मात्र) जो कि सिक्यूरिटी डिपॉजिट राशि के रूप का चेक के माध्यम से प्राप्त कर लिये गए है जो मकान खाली करते समय वापस कर दी जावेगी बिना किसी ब्याज के यदि मकान में कोई टूट फूट होती है तो उसकी राशि उक्त राशि में से काट ली जावेगी ।

निरंतर......2/पर

8283-28 (9 87)
100 X 5 = 500/-
08/05/2025

12 SEP 2025

SANTOSH KUMAR SHRIVAS
STAM VENDER
OPP. OLD VIDHAN SABHA
BHOPAL (M.P.)

श्री शैलेन्द्र राय, पुत्र स्व. श्री शशिबाला राय, आयु वयस्क, निवासी- मकान नं. एच-88ए/27, सेकेण्ड बस स्टॉप, तुलसी नगर, तहसील-हुजूर, भोपाल (म.प्र) आधार नं.- 4078 2716 1359

एवं

श्री राहुल धाकड, आत्मज श्री नारायण सिंह धाकड, आयु वयस्क, निवासी- ग्राम उदयपुरा, काली मंदिर के पास, रायसेन (म.प्र.) 464770 आधार नं.- 2100 4038 5839

कार्यालय जिला ...
22 AUG 2025

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CZ 033609

अन्य विवरण :-

जैसा कि प्रथम पक्षकार उक्त वर्णित किरायाधीन मकान के मालिक है एवं जिसे द्वितीय पक्षकार अपने आवासीय उपयोग हेतु किराये पर प्राप्त कर लिया है तथा इसके लिए प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो तथ्यों के आधार पर यह किरायेदारी तय पाई जा रही है कि:-

1. यह कि दोनों पक्षकारों के मध्य उक्त किरायेदारी दिनांक 01.09.2025 से आरंभ है जो आगामी 11 माह की अवधि अर्थात दिनांक 31-07-2026 तक प्रभावशाली रहेगी ।
2. यह कि दोनों पक्षकारों के मध्य उक्त किरायेदारी स्थान का मासिक किराया रूपये 9,000/- (रूपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह तय पाया गया है, जो कि द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को हर माह की 1 से 8 तारीख तक अग्रिम रूप से अदा किया जायेगा ।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार/द्वितीय पक्षकार किरायाधीन स्थान का उपयोग कर किसी बैंक अथवा वित्तिय संस्था से ऋण लेता है तो उसकी रांपूर्ण जिम्मेदारी किरायेदार/द्वितीय पक्षकार की स्वयं की होगी ।
4. यह कि उक्त किरायाधीन मकान के बिजली विल का भुगतान द्वितीय पक्षकार/किरायेदार स्वंय करेंगे जो किराये की राशि के अतिरिक्त होगा ।
5. **यह कि इस किरायाधीन स्थान के साफ सफाई आदि की पूरी जवाबदारी द्वितीय पक्षकार की रहेगी ।**

NOTARY JOHNSON-WILSON GOVT OF M.P. (INDIA)

निरंतर....3/पर

8283-8234

100100

02/09/2025

12 SEP 2025

SANTOSH KUMAR SHRIVAS
STAM VENDER
OPP. OLD VIDHAN SABHA
BHOPAL (M.P.)

22 AUG 2025

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

₹ 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

य प्रदेश MADHYA PRADESH

CZ 033610

6. यह कि उक्त वर्तमान मकान में प्रथम पक्षकार द्वारा 04 सिलिंग फेन, एक पानी की मोटर (आधा एच.पी.), 10 एल.ई.डी. बल्ब, 02 एग्जास्ट फेन, 01 वॉल फेन, द्वितीय पक्षकार को चालू अवस्था में किरायाधीन स्थान में दिया है। जिसे किरायेदार द्वारा मकान खाली करते समय सभी सामान उसी अवस्था में मकान मालिक/प्रथम पक्षकार को सौपेंगे।

7. यह कि इस किरायाधीन स्थान में द्वितीय पक्षकार स्वंय निवास करेंगे, किसी तरह का इसमें कोई गैर कानूनी या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अवैधानिक हो या जिसमें प्रथम पक्षकार को किसी तरह की आपत्ति हो।

8. यह कि इस किरायाधीन स्थान को द्वितीय पक्षकार किसी अन्य को उप किरायेदारी या शिकमी तौर पर नहीं देंगे, इसका उपयोग द्वितीय पक्षकार द्वारा केवल स्वंय के निवास के उपयोग हेतु ही किया जायेगा।

9. इस किरायाधीन स्थान में द्वितीय पक्षकार कोई विस्फोटक प्रदार्थ, सामग्री आदि संग्रहित नहीं करेगे तथा जब भी इसे रिक्त करेंगे, इसका कब्जा प्रथम पक्षकार को उसी अवस्था में सौंपेंगे जिस स्थिति में ले रहे हैं।

निरंतर....4/पर

NOTARY JOHNSON-WILSON Valid Till 15/07/2027 Civil Distt. Bhopal GOVT. OF M.P. (INDIA)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH //4// CZ 033611

10. यह कि यदि प्रथम पक्षकार को उक्त किरायाधीन स्थान को खाली करवाना होगा तो वह द्वितीय पक्षकार को एक माह पूर्व लिखित नोटिस देकर उक्त किरायाधीन स्थान को खाली करवा सकता है तथा इसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार को उक्त किरायाधीन स्थान को खाली करना चाहेगा तो वह प्रथम पक्षकार को एक माह पूर्व लिखित नोटिस देकर उक्त किरायाधीन स्थान को खाली कर सकता है ।

11. यह कि यह किरायेदारी अगले 11 माह की समयावधि के लिए तय की गई है, जो पक्षकारों की सहमति से यह किरायेदारी नये अनुबंध के साथ आगे की समयावधि के लिये बढ़ाई जा सकेगी । तथा किराये राशि में 500 की बढ़ोत्री की जावेगी ।

12. यह कि प्रथम पक्षकार/मकान मालिक ने द्वितीय पक्षकार किरायेदार से रूपये 12,000/- (रूपये बारह हजार मात्र) बतौर सिक्यूरिटी डिपाजिट के नगद प्राप्त कर लिया है जो कि द्वितीय पक्षकार द्वारा उक्त मकान का आधिपत्य रिक्त करते समय प्रथम पक्षकार तुरंत एक मुश्त वापस कर देंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

13. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर किराया नहीं दिया जात है तो प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि द्वितीय पक्षकार अग्रिम 06 माह के चेक ले सकते है, इसमें द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

14. यह कि इस प्रकार यह अनुबंध पक्षकारों के मध्य उक्तानुसार समझकर तय की जा रही है, जिस अनुसार पक्षकारगण समानतः पाबंद हैं ।

15. यह कि किरायाधीन संपत्ति में ऐसा कोई काम/कार्य नहीं करेगा जिससे आप-पास के रहवासी/लोगों की शांति भंग हो या संपत्ति में कोई क्षति हो ।

निरंतर....5/पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH CZ 033612

//5//

16. यह कि मकान स्वामी तथा किरायेदारों दोनों पक्षों पर मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे। उसमें दी गई हिदायतों का दोनों पक्षकार विधिवत रूप से पालन करते रहेंगे।

अतः यह किरायेदारी का अनुबंध पत्र आज दिनांक 02.09.2025 को दोनों पक्षों प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने आपसी सहमति से सोच-समझकर व राजी-खुशी व बिना किसी जोर-दबाव के अपने होशो हवास में दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया है, ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

भोपाल, इति दिनांक 02/09/2025.

गवाहान :-

1. रितेन्द्र पवार
G-6/5, नर्मदा भवन
के पास, न्यू नर्मदा भवन
कालोनी भोपाल

2.

हस्ता० मालिक/प्रथम पक्षकार

NOTARY
JOHNSON-WILSON
Valid Till 15/07/2027
Civil Distt. Bhopal
GOVT. OF M.P. (INDIA)

हस्ता० किरायेदार/द्वितीय पक्षकार

IDENTIFIED BY ME
NAME Ashish Yadav
ADDRESS H. No. 47
D-Sector Kadar Road
SIGNATURE

ATTESTED
JOHNSON-WILSON
Advocate & Notary
BHOPAL, M.P.
02/09/2025

8236-8237

100+100

02/09/2025

11 SEP 2025

12. SEP 2025

22 AUG 2025